B.A. PART III
PAPER-VIII राष्ट्रीय आन्दोलन एवं भारत का संवैधानिक विकास

भारतीय शासन अधिनियम, 1935
(GOVERNMENT OF INDIA ACT, 1935)

भारतीय शासन अधिनियम, (1935) :- 1930, 31 और 32 के गोलमेज सम्मेलनों में किए गए विचार के आधार पर मार्च 1933 ई. में भावी सुधार योजना के सम्बन्ध में एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया। जिसमें प्रान्तों में उत्तरदायी शासन व्यवस्था और केन्द्र में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना का सुझाव दिया गया था। 'श्वेत पत्र' के सुझावों को स्वीकार करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 ई. के 'भारतीय शासन अधिनियम' का निर्माण किया गया।

1935 के भारतीय शासन अधिनियम की विशेषताएँ :-
1935 का भारतीय शासन अधिनियम बहुत लम्बा और जटिल था। अधिनियम में 451 धारायें और परिशिष्ट थे। अधिनियम के इतने अधिक लम्बे और पेचीदा होने का मूल कारण यह था कि एक ओर तो भारत की बढ़ती हुई राष्ट्रीयता के कारण भारत के लोगों को सत्ता का पर्याप्त हस्तान्तरण आवश्यक हो गया था, दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार शक्ति हस्तान्तरण के साथ-साथ अपने हितों की रक्षा की पूरी व्यवस्था कर लेना चाहती थी। अधिनियम की मुख्य विशेषताओं का संक्षिप्त अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है :-

(1) **अखिल भारतीय संघ :-** 1935 के अधिनियम द्वारा यह निर्णय किया गया कि केन्द्र में ब्रिटिश प्रान्तों और देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ स्थापित किया जाए। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रान्तों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों। अधिनियम के अनुसार प्रान्तों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य, परन्तु देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक था। संघ में ~~इच्छुक~~ सम्मिलित होने के इच्छुक प्रत्येक देशी रियासत को एक प्रवेश प्रपत्र पर हस्ताक्षर होते थे। इस प्रपत्रों में शर्तों का उल्लेख किया जाता था, जिन पर वह संघ में शामिल होना चाहती थी। संघ की इकाइयों को अपने आन्तरिक मामलों में स्वशासन प्राप्त था। संघ और उसकी इकाइयों के विवादों का निर्णय करने के लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गयी। केन्द्र में एक संघीय ~~व्यवस्थापिका~~

Scanned with CamScanner

कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिका की स्थापना की गयी।
संघ की स्थापना की पूर्व शर्त यह थी कि कम से कम समस्त देशी रियासतों की कुल जनसंख्या और आधी जनसंख्या वाली देशी रियासतें (संघीय व्यवस्थापिका के उच्च सदन में देशी रियासतों के लिए निर्धारित 100 स्थानों में कम से कम 52 की सीटें रखने वाली देशी रियासतें) संघ में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट करती। इस शर्त के पूरा हो जाने पर सम्राट द्वारा संघ की स्थापना की घोषणा की जाती। परन्तु देशी रियासतें संघ में शामिल न हुई और इस प्रकार प्रस्तावित संघ की स्थापना, घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया।

(2) **प्रान्तीय स्वायत्तता** :- 1935 के अधिनियम की एक अन्य महत्वपूर्ण और सम्भवतया एकमात्र सन्तोषजनक व्यवस्था प्रान्तीय स्वशासन की स्थापना थी। इस अधिनियम के द्वारा 1919 के अधिनियम की प्रान्तों में द्वैध शासन व्यवस्था का अन्त कर उन्हें स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। सम्पूर्ण प्रान्तीय शासन लोकप्रिय मन्त्रियों के नियंत्रण में कर दिया गया और गवर्नर से यह अपेक्षा की गयी कि उसके द्वारा मन्त्रियों की सलाह के आधार पर प्रशासन का संचालन किया जाएगा। उसे यह भी निर्देश दिया गया कि उसके द्वारा प्रान्तीय मंत्रिमण्डल का नियुक्ति प्रान्तीय व्यवस्थापिका के बहुमत दल के नेता की सहमति से किया जाना चाहिए। मन्त्रियों को प्रान्तीय व्यवस्थापिका के अन्तर्गत उत्तरदायी बनाया गया। यह निश्चय किया गया कि उनके द्वारा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर कार्य किया जाएगा। इस प्रकार 1935 का अधिनियम प्रान्तीय स्वायत्तता की दिशा में एक निश्चित सुधार था। लेकिन गवर्नरों के हाथ में विशेष उत्तरदायित्वों के रूप में कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ बनी रहीं।

(3) **केन्द्र में द्वैध शासन की स्थापना** :- 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रान्तों में स्थित द्वैध-शासन का अन्त किया गया, उसी द्वैध-शासन की स्थापना केन्द्र में कर दी गयी। कुछ संघीय विषयों (सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध, धार्मिक मामले तथा कबायली क्षेत्र की व्यवस्था) को गवर्नर जनरल के हाथों में सुरक्षित रखा गया ताकि वह अपने विवेक के अनुसार उनकी समुचित व्यवस्था कर सके। इन विभागों के प्रबन्ध के लिए वह अधिक से अधिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर सकता था। अन्य संघीय विभागों की व्यवस्था के लिए गवर्नर जनरल को सहायता तथा परामर्श देने हेतु एक मन्त्रिमण्डल की व्यवस्था की गयी थी जिसमें मन्त्रियों की संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती थी। संघीय मंत्रिमंडल को उन विभागों के

के अतिरिक्त अन्य सभी संघीय विभागों की व्यवस्था करनी होती थी और मंत्रिमण्डल को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहते हुए सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर कार्य करना था।

(4) **संरक्षण और आरक्षण** :- ब्रिटिश शासन का विचार था कि वे भारतीयों द्वारा उत्तरदायी शासन का संचालन करने में गम्भीर त्रुटियाँ की जा सकती हैं। इनके अतिरिक्त वे अल्पमत वर्गों के हितों की रक्षा के लिए भी पहले से ही समुचित व्यवस्था कर लेना चाहते थे। अतः अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों की विभिन्न परिस्थितियों में केन्द्र एवं प्रान्त के उत्तरदायी शासन में हस्तक्षेप करने का व्यापक अधिकार प्रदान किए गए। गवर्नर जनरल और गवर्नरों के ये व्यापक अधिकार ही अधिनियम के संरक्षण एवं आरक्षण थे।

(5) **विधानमण्डलों और मताधिकार का विस्तार** :- अधिनियम के द्वारा संघीय व्यवस्थापिका के दो सदनों की व्यवस्था की गयी। जिनमें से एक संघीय विधानसभा और दूसरी राज्य परिषद थी। केन्द्र में विधानसभा सदस्यों की संख्या 375 और राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 260 निर्धारित की गयी। प्रान्तों में 11 में से 6 विधानमण्डलों को दो सदनों वाला बनाया गया। अधिनियम के द्वारा मताधिकार का विस्तार किया गया और प्रान्तों के लिए 10 प्रतिशत से कुछ अधिक जनता को मताधिकार प्रदान किया गया। संघीय व्यवस्थापिका के गठन के सम्बन्ध में एक विशेष बात यह थी कि अन्य संघीय व्यवस्था वाले देशों के विपरीत निम्न सदन के निर्माण हेतु अप्रत्यक्ष और उच्च सदन के निर्माण हेतु प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया।

(6) **शक्ति विभाजन** :- यह घोषित किया गया कि अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय शासन की स्थापना की जाती है अतः इस दृष्टि से केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के क्षेत्रों को स्पष्ट किया गया। इस सम्बन्ध में तीन विस्तृत सूचियों की व्यवस्था की गयी-संघीय सूची, प्रान्तीय सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची में अखिल भारतीय महत्व के 59 विषय सम्मिलित थे जिनमें मुख्य थे जल, स्थल, वायुसेना, वैदेशिक विभाग, डाक तार, मुद्रा तथा टंकण, संघीय लोक सेवायें, संचार, बीमा तथा बैंक आदि। प्रान्तीय सूची में प्रान्तीय और स्थानीय महत्व के 54 विषय थे। जिनमें शान्ति, न्यायालय, प्रान्तीय लोक सेवायें, स्थानीय स्वशासन, कृषि, जंगल, शिक्षा आदि थे। समवर्ती सूची में 36 विषय थे। जिनमें दिवानी तथा फौजदारी, विधि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, कारखाने, श्रम कल्याण आदि थे।

Scanned with CamScanner

संघीय सूची के विषयों पर संघीय व्यवस्थापिका और प्रान्तीय सूची के विषयों पर प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं को कानून बनाने की शक्ति थी। समवर्ती सूची के विषयों पर संघीय तथा प्रान्तीय दोनों ही व्यवस्थापिकाएं कानून का निर्माण कर सकती थीं लेकिन पारस्परिक विरोध की स्थिति में संघीय व्यवस्थापिका का कानून ही मान्य होगा। एक विशेष बात यह थी कि अवशेष शक्तियाँ संघीय या प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं को प्रदान न कर गवर्नर जनरल को प्रदान की गयी थी और उसे यह अधिकार था कि किसी भी सूची में उल्लेख न किए गए विषयों पर संघीय या प्रान्तीय किसी भी व्यवस्थापिका को कानून बनाने का आदेश दे सकता था।

(7) संघीय न्यायालय :- अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था भी की गयी जिसका अधिकार क्षेत्र प्रान्तों तथा रियासतों तक विस्तृत था। न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा दो अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गयी थी। न्यायालय को मौलिक तथा अपील सम्बन्धी अधिकार दिए गये। संघीय न्यायालय का कर्तव्य था कि वह संविधान की व्याख्या करे। इस बात का भी ध्यान रखा कि प्रान्तीय तथा संघीय सरकारें एक दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण न करें तथापि इस सम्बन्ध अन्तिम शक्ति लन्दन स्थित प्रिवी कौंसिल को थी।

(8) ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता :- अधिनियम के द्वारा भारतीय शासन के सम्बन्ध में ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने का अधिकार प्रान्तीय विधानमण्डलों और संघीय व्यवस्थापिका को नहीं दिया गया। इस सम्बन्ध में शक्ति ब्रिटिश संसद के पास ही बनी रही। प्रान्तीय तथा केन्द्रीय व्यवस्थापिकाएं कुछ विशेष सीमाओं में रहते हुए अधिनियम में संशोधन की सिफारिश कर सकती थीं। इस प्रकार भारतीय भाग्य के निर्णय की अंतिम सत्ता ब्रिटिश संसद के पास बनी रही।

(9) प्रस्तावना का अभाव :- इस अधिनियम की अपनी कोई प्रस्तावना नहीं थी। जिससे कि अधिनियम के निर्दिष्ट ध्येय या उद्देश्य का ज्ञान हो सके। ब्रिटिश संसद के कुछ सदस्यों ने जब इस आधार पर अधिनियम

Scanned with CamScanner

की आलोचना की तो ब्रिटिश सरकार ने 1919 के भारतीय शासन अधिनियम की प्रस्तावना को इसमें जोड़ने निश्चय किया। यह इसलिए किया गया कि ताकि भारतीयों को यह पता रहे कि ब्रिटिश सरकार का अन्तिम लक्ष्य औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना है।

(10) <u>भारत परिषद का अन्त</u> :- भारत परिषद के भारत विरोधी दृष्टिकोण के कारण भारतीय जनता द्वारा इस परिषद के अन्त की माँग की जा रही थी। अतः 1935 के अधिनियम द्वारा इस परिषद का अन्त कर दिया गया। भारत मन्त्री के लिए कुछ परामर्शदाता नियुक्त किए गए जिनसे परामर्श लेना अथवा न लेना उसकी इच्छा पर निर्भर करता था। लेकिन सेवाओं के सम्बन्ध में भारत मन्त्री के लिए इन परामर्शदाताओं का परामर्श मानना आवश्यक था। इसके साथ ही अधिनियम द्वारा केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों में किए गये परिवर्तनों के अनुरूप भारतीय शासन पर भारत मन्त्री की शक्ति में भी कुछ कमी हो गयी।

(11) <u>साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार</u> :- यद्यपि यह बात नितान्त स्पष्ट हो गयी थी कि साम्प्रदायिक चुनाव पद्धति भारत के हित में नहीं है लेकिन अंग्रेजों ने भारतीयों में फूट डालने की अपनी नीति के अनुसार संघीय और प्रान्तीय ~~...~~ विभिन्न सम्प्रदायों और विशेष हितों को प्रतिनिधित्व देने के लिए इस पद्धति को न केवल जारी रखा वरन आंग्ल भारतीयों, भारतीय ईसाईयों, यूरोपियनों और हरिजनों के लिए भी इस पद्धति का विस्तार कर दिया। संघीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों में मुसलमानों को एक तिहाई स्थान प्रदान किए गए।

(12) <u>बर्मा, बरार और अदन</u> :- इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया और अदन को भारत सरकार के नियन्त्रण से मुक्त करके 1 अप्रैल 1937 को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया। यद्यपि बरार के ऊपर निजाम हैदराबाद की नाममात्र की सत्ता स्वीकार कर ली गयी, परन्तु उसको शासन की दृष्टि से मध्य प्रान्त का अंग बना दिया गया।

प्रान्तीय शासन पर बाहरी और आन्तरिक सीमाओं के आधार पर बिना अतिश्योक्ति के यह कहा जा सकता है कि प्रान्तीय स्वशासन केवल एक धोखा था। अतः भारतीयों के द्वारा इसके प्रति असंतोष व्यक्त किया गया और प्रान्तों के लिए वास्तविक स्वायत्तता की माँग की गयी।

Scanned with CamScanner